बिहार सरकार

बिहार तकनीकी सेवा आयोग,

19, हार्डिंग रोड, पटना।

सामान्य कर्तव्य उपसंवर्ग अन्तर्गत अकुपेशनलथेरापिस्ट एवं फिजियोथेरेपिस्ट के पद पर नियमित नियुक्ति हेतु विज्ञापन।

1. स्वास्थ्य विभाग बिहार, पटना अन्तर्गत नियमित नियुक्ति हेतु सामान्य प्रशासन विभाग बिहार पटना के पत्रांक–9481, दिनांक–16.07.2019 द्वारा अकुपेशनलथेरापिस्ट एवं 15113, दिनांक–07.11.2019 द्वारा फिजियोथेरापिस्ट के रिक्त पदों पर प्राप्त अधियाचना के आलोक में सुयोग्य उम्मीदवारों से विहित प्रपत्र में आयोग के वेबसाईट **www.btsc.bih.nic.in** एवं **www.pariksha.nic.in** पर दिनांकः–............... से दिनांकः–................. तक ऑनलाईन आवेदन आमंत्रित किये जाते है।

रोस्टर के अनुसार अकुपेशनलथेरापिस्ट एवं फिजियोथेरापिस्ट पद की विवरणी, विज्ञापन सं०, वेतनमान एवं शैक्षणिक योग्यता निम्नलिखित रूप से दर्शाया जा रहा है:–

क्र० स०	पदनाम	विज्ञापन सं०	वेतनमान	पदों की कोटिवार विवरणी (35% महि0, 4% दिव्यांग एवं 2% स्वतंत्रता से0 के नाती/ पोते को देय आरक्षण सहित)								अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता
				अना०	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	अनु० जाति	अनु० जन० जाति	अ० पि० व०	पि० व०	पि0व0 की महिला	कुल	
i	अकुपेशनलथेरापिस्ट (सामान्य कर्तव्य उपसंवर्ग)	17/2019	अपुनरीक्षित वेतनमान–9300–34800, ग्रेड पे०–4200 तथा 7वे पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन स्तर–6(छः) तथा समय–समय पर अनुमान्य भत्ते।	34	09	14	01	16	10	02	86	आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि तक उम्मीदवार को अनिवार्य रूप से सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से बैचलर–इन–अकुपेशनलथेरापी उत्तीर्ण तथा तत्सम्बन्धी प्रमाण–पत्र धारक इस नियुक्ति हेतु आवेदन के पात्र होगें।
ii	फिजियोथेरापिस्ट (सामान्य कर्तव्य उपसंवर्ग)	18/2019	अपुनरीक्षित वेतनमान–9300–34800, ग्रेड पे०–4200 तथा 7वे पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन स्तर–6(छः) तथा समय–समय पर अनुमान्य भत्ते।	50	12	23	01	26	10	04	126	आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि तक उम्मीदवार को अनिवार्य रूप से सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से बैचलर–इन–फिजियोथेरापी उत्तीर्ण तथा तत्सम्बन्धी प्रमाण–पत्र धारक इस नियुक्ति हेतु आवेदन के पात्र होगें।

2. आयु सीमा:– (i) दिनांक–01.08.2019 को न्यूनतम 21वर्ष।

अधिकतम उम्र सीमा:–

(ii) अनारक्षित––37वर्ष

(iii) अनारक्षित महिला––40 वर्ष

(iv) अत्यन्त पिछड़ा वर्ग/पिछड़ा वर्ग (पुरूष/महिला)––40 वर्ष

(v) अनु० जाति/अनु० जनजाति (पुरूष/महिला)––42 वर्ष

(vi) उक्त आयु सीमा में सा०प्र०वि० के संकल्प सं०–02, दिनांक–05.01.2007 के आलोक के दिव्यांगों को अधिकतम उम्र सीमा में 10 वर्षों की छूट अनुमान्य हैं।

(vii) सा०प्र०वि० के संकल्प सं०–2574, दिनांक–16.07.2007 के आलोक के सरकारी सेवकों को उच्चतर वेतनमान की सेवा में जाने हेतु अधिकतम आयु सीमा में 5 (पाँच) वर्षों की छूट अनुमान्य हैं।

3. **सामान्य कर्तव्य उपसंवर्ग, अकुपेशनलथेरापिस्ट– चयन की प्रक्रियाः–**

(i)	बैचलर–इन–अकुपेशनलथेरापी कोर्स में प्राप्तांक के लिए	60 अंक
(ii)	उच्चतर डिग्री के लिए (मास्टर–इन–अकुपेशनलथेरापी)	15 अंक
(iii)	राज्य के सरकारी अस्पतालों में/सरकार के अन्य विभागों में कार्यानुभव के लिए (प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए 5 अंक और अधिकतम 25 अंक)	25 अंक
		कुल–100 अंक

4. **सामान्य कर्तव्य उपसंवर्ग, फिजियोथेरापिस्ट– चयन की प्रक्रियाः–**

(i)	बैचलर–इन–फिजियोथेरापी कोर्स में प्राप्तांक के लिए	60 अंक
(ii)	उच्चतर डिग्री के लिए (मास्टर–इन– फिजियोथेरापी)	15 अंक
(iii)	राज्य के सरकारी अस्पतालों में/सरकार के अन्य विभागों में कार्यानुभव के लिए (प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए 5 अंक और अधिकतम 25 अंक)	25 अंक
		कुल–100 अंक

नोटः– बैचलर–इन–अकुपेशनलथेरापी एवं बैचलर–इन–फिजियोथेरापी डिग्री की परीक्षा में प्राप्तांक के लिए किसी अभ्यर्थी को प्रदान किये जाने वाले अंको का अवधारण उक्त कोटि में प्राप्त कुल अंकों के प्रतिशत को 0.6 के गुणक से गुणा करके किया जायेगा। उदाहरणार्थ, यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा 50 प्रतिशत अंक प्राप्त किया गया हो, तो उसे 50x0.6=30 अंक दिये जायेंगे।

(iv) अभ्यर्थी दिनांक–.................... तक बिहार राज्य के सरकारी अस्पतालों/सरकार के अन्य विभागों में संविदा के आधार पर अकुपेशनलथेरापिस्ट एवं फिजियोथेरापिस्ट के पद पर कार्यरत अवधि का कार्यानुभव प्रमाण–पत्र के साथ–साथ वेतन भुगतान प्रमाण–पत्र आवदेन के विहित कॉलम में दर्ज करेंगें।

4. **आरक्षणः–**

(i) ऑनलाईन आवेदन के इंगित कॉलम में आरक्षण का दावा नहीं करने पर आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा।

(ii) जाति के आधार पर आरक्षण का लाभ उन्हीं उम्मीदवारों को मिलेगा, जिनका स्थायी निवास बिहार राज्य में है अर्थात् जो बिहार के मूलवासी हैं। बिहार राज्य के बाहर के निवासी अभ्यर्थी को आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा। ऑनलाईन आवेदन में भरा गया स्थायी पता ही आरक्षण प्रयोजन के लिए स्थायी निवास अनुमान्य होगा।

(iii)(A)अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को निम्नांकित प्रमाण–पत्र जमा करना अनिवार्य होगाः–

(a) जाति प्रमाण–पत्र

(b) स्थायी निवास (डोमिसाइल) प्रमाण–पत्र,

(B)पिछड़ी जाति एवं अत्यन्त पिछड़ी जाति के उम्मीदवारों को निम्नांकित प्रमाण–पत्र जमा करना अनिवार्य होगाः–

(a) क्रीमीलेयर रहित जाति प्रमाण–पत्र, (बिहार सरकार के प्रयोजनार्थ)

(b) स्थायी निवास (डोमिसाइल) प्रमाण–पत्र,

(C)आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए निम्नांकित प्रामाण पत्र जमा करना अनिवार्य होगाः–

(a) आय एवं परिसम्पति प्रमाण पत्र– (सामान्य प्रशासन विभाग की अधि० सं०–2622, दिनांक–26.02. 2019 के आलोक में)

(b) स्थायी निवास (डोमिसाइल) प्रमाण–पत्र,

उक्त सभी प्रमाण पत्र अपने स्थाई अधिवास अंचल के राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत किया गया मान्य होगा।

(iv) आरक्षित कोटि के उम्मीदवार अपनी जाति के अनुरूप आरक्षण के संबंध में पूर्ण रूप से संतुष्ट होने के पश्चात् ही आरक्षण का अंकण आवेदन के संबंधित कॉलम में करेंगे एवं आवेदन भरते समय उनके पास आरक्षित कोटि के अनुरूप सक्षम प्राधिकार से निर्गत प्रमाण–पत्र उपलब्ध होना अनिवार्य होगा। किसी प्रकार की त्रुटि होने पर आरक्षण का दावा मान्य नहीं होगा।

आरक्षित कोटि

क्र०सं०	आरक्षित कोटि
1.	अनुसूचित जाति (SC)
2.	अनुसूचित जनजाति (ST)
3.	अत्यंत पिछड़ा वर्ग (EBC)
4.	पिछड़ा वर्ग (BC)
5.	पिछड़ा वर्ग की महिला (WBC)
6.	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWC)

(v) दिव्यांगता की स्थिति में सक्षम प्राधिकार द्वारा विहित प्रपत्र में निर्गत दिव्यांगता (निःशक्तता) प्रमाण–पत्र की छायाप्रति संलग्न करना आवश्यक है, अन्यथा दिव्यांगता (निःशक्तता) के आधार पर आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा।

(vi) सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार के पत्रांक–13185, दिनांक–03.09.2015 के आलोक में राज्य के वैसे स्वतंत्रता सेनानियों जिन्हें केन्द्र द्वारा पेंशन स्वीकृत है, के पोता/पोती/नाती/नतीनी को नियमानुसार 02 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण देय होगा। ऐसे आरक्षण का दावा करने वाले अभ्यर्थियों को आवेदन करते समय अपने गृह जिला के जिला पदाधिकारी या उनके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी के हस्ताक्षर से निर्गत भूतपूर्व स्वतंत्रता सेनानी के पोता/पोती /नाती/नतीनी होने का प्रमाण–पत्र निश्चित रूप से उपलब्ध होना चाहिए।

(vii) सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापांक –16144, दिनांक– 28.11.2012 के आलोक में नियुक्ति प्रक्रिया के बीच आरक्षण कोटि में सुधार/बदलाव नहीं किया जा सकता है। (viii) ऑनलाईन आवेदन में आरक्षण के इंगित कॉलम में निःशक्तता/स्वतंत्रता सेनानी/ संविदा पर कार्यरत रहने का दावा नहीं करने पर उनसे संबंधित आरक्षण एवं अन्य लाभ अनुमान्य नहीं होंगे।

5. **आवेदन शुल्कः**– (i) Online आवेदन करने हेतु निर्धारित आवेदन शुल्क निम्नवत् हैः–

क्र0सं0	उम्मीदवार की कोटि	निर्धारित आवेदन शुल्क
1	सामान्य वर्ग/पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	रू0 200/–
2	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं अत्यंत पिछड़ (बिहार राज्य के स्थायी निवासी)	रू0 50/–
3	आरक्षित/अनारक्षित वर्ग की महिला उम्मीदवार (बिहार रा स्थायी निवासी)	रू0 50/–
4	राज्य के बाहर के उम्मीदवार चाहे वे किसी भी व महिला/पुरूष हों।	रू0 200/–

(ii) सभी कोटि के दिव्यांग अभ्यर्थियों को अनारक्षित श्रेणी हेतु निर्धारित परीक्षा शुल्क के एक चौथाई जमा करना होगा, अर्थात अनारक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी को यदि 200 रूपया निर्धारित है, तो दिव्यांग अभ्यर्थी को मात्र 50 रूपया परीक्षा शुल्क देय होगा।

(iii) अभ्यर्थियों के द्वारा आवेदन शुल्क डेबिट कार्ड/क्रेडिट कार्ड/इन्टरनेट बैंकिंग या **एस. बी. आई** के ई–चलान के माध्यम से जमा किया जायेगा एवं रसीद की प्रति आवेदक के पास सुरक्षित रखा जायेगा।

(iv) ऑनलाईन भुगतान में अभ्यर्थी को उपर्युक्त परीक्षा शुल्क के अतिरिक्त विभिन्न बैंकों द्वारा निर्धारित चार्ज भी देना होगा, जिसे ऑनलाईन भुगतान के क्रम में बैंक द्वारा स्वतः बैंक चार्ज के रूप में ले लिया जाएगा।

(v) अभ्यर्थी ऑनलाईन भुगतान से संबंधित बैंक रसीद को प्रिन्ट कर ऑनलाईन आवेदन के विहित कॉलम में अंकित करेगें।

(vi) वैसे सभी कोटि के अभ्यर्थियों, जो अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति एवं निःशक्तता के अनुरूप परीक्षा शुल्क जमा करते हैं, और भविष्य में उनके द्वारा संबंधित प्रमाण–पत्र प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो रियायती परीक्षा शुल्क (Concessional Examination Fee) के आधार पर उनकी अभ्यर्थिता रदद् कर दी जायेगी। निःशक्त अभ्यर्थियों एवं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कोटि के अभ्यर्थियों को इस संदर्भ में सूचित किया जाता है कि वे यदि स्वेच्छा से परीक्षा शुल्क सामान्य अभ्यर्थियों के अनुरूप जमा करते हैं तो इस बिन्दु पर उनकी अभ्यर्थिता सुरक्षित रहेगी।

6. **महत्वपूर्ण निर्देशः–**

(i) ऑनलाइन आवेदन–पत्र के विहित कॉलम में अपने सभी शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र की प्रति तथा आरक्षण से संबंधित सूचना की प्रविष्टि करेगें एवं इस प्रविष्टि के अनुसार कांउसेलिंग के समय मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

(ii) कंडिका 3 (iii) एवं कंडिका 4 (iii) के अंतर्गत अधिमानता (कार्यानुभव) का दावा करने वाले उम्मीदवारों के द्वारा बिहार राज्य के सरकारी अस्पतालों में कार्यरत कर्मियों के अधीक्षक/प्रचार्य चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल एवं राज्य के अन्य अस्पतालों के अधीक्षक/सिविल सर्जन के द्वारा तथा अन्य विभागों के अन्तर्गत कार्यरत अभ्यर्थियों के लिए संबंधित जिला के जिला पदाधिकारी/जिला विभागीय पदाधिकारी द्वारा प्रदत्त कार्यानुभव प्रमाण पत्र एवं वेतन भुगतान प्रमाण–पत्र मान्य होगें।

7. विज्ञापन से संबंधित वर्णित सभी प्रमाण पत्र एवं अंतिम रूप से भरे गये ऑनलाईन आवेदन को डाउनलोड कर हार्ड कॉपी अवश्य सुरक्षित रखेंगे। आयोग द्वारा काउसेलिंग के समय या किसी भी समय मांगे जाने पर उम्मीदवार को उक्त हार्ड कॉपी एवं सभी संबंधित प्रमाण–पत्र का इंक साईन कॉपी निश्चित रूप से प्रस्तुत करना होगा।

8. योग्यता संबंधी प्रमाण–पत्र वही मान्य होंगे, जिनका उल्लेख उम्मीदवार ने अपने मूल आवेदन–पत्र में किया है। योग्यता से संबंधित प्रमाण–पत्र के निर्गत होने की तिथि, आवेदन करने हेतु निर्धारित अंतिम तिथि के पूर्व का होना आवश्यक है।

9. आवेदन प्रपत्र में वर्णित सभी प्रमाण–पत्र, अंक–पत्र कॉंसेलिंग के समय मूल रूप से प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। उक्त निर्देश का अनुपालन नहीं करने वाले अभ्यर्थियों की अर्हता के संबंध में निर्णय लेने हेतु आयोग स्वतंत्र रहेगा।

10. आवेदक यह सुनिश्चित करेंगे कि सभी वांछित प्रमाण–पत्र मूल रूप में उनके पास आवेदन भरते समय उपलब्ध हैं।

11. इस विज्ञापन से संबंधित सभी सूचनाएँ आयोग के वेबसाईट **www.btsc.bih.nic.in** एवं आयोग के परीक्षा पोर्टल पर प्रकाशित की जाएगी, समाचार पत्रों में अलग से प्रकाशन अपेक्षित नहीं होगा।

12. इस विज्ञापन के लिए निर्धारित ऑनलाईन आवदेन से अलग मुद्रित, टंकित, हस्त लिखित आवेदन स्वीकार नहीं किये जायेगे। साथ ही अपूर्ण, अस्पष्ट, अहस्ताक्षरित तथा विलम्ब से ऑनलाईन प्राप्त आवेदन पत्र अस्वीकृत कर दिये जायेगें तथा शुल्क वापस नहीं किये जायेगें।

13. **आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन में सभी प्रविष्टियाँ सावधानी से भरी जायेगी। भविष्य में आवेदन में किसी प्रकार का परिवर्तन/सुधार मान्य नहीं होगा। किसी भी प्रकार की त्रुटि हेतु आयोग उत्तरदायी नहीं होगा एवं कोई भी प्रतिकूल परिणाम हेतु आवेदक स्वयं जिम्मेवार होंगे।**

14. ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने से संबंधित तिथि एवं अन्य निर्देश निम्नांकित हैं:–

(i) ऑनलाईन आवेदन भरने की अंतिम तिथिः ....

(ii) ऑनलाईन भुगतान करने वाले अभ्यर्थी चालान की प्रति डाउनलोड कर सुरक्षित रख लेगें।

(iii) अभ्यर्थी ऑनलाईन आवेदन भरने के पूर्व उक्त दिशा निर्देश का भली भाँति अध्ययन कर लेंगे तथा ऑनलाईन आवेदन भरने के क्रम में सभी सूचनाएँ सही–सही एवं सुस्पष्ट अंकित करेंगे। ऑनलाईन आवेदन भरने हेतु आवश्यक (विस्तृत) निर्देश का अक्षरशः अनुपालन नहीं करने एवं ऑनलाईन आवेदन भरने के क्रम में अभ्यर्थी द्वारा की गयी प्रविष्टि में किसी प्रकार की त्रुटि के लिए आयोग जिम्मेवार नहीं होगा। इस संबंध में किसी प्रकार के सुधार/परिवर्तन हेतु अभ्यावेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। ऑनलाईन आवेदन में भरी गयी सूचनाओं को मूल प्रमाण पत्र /अंक पत्रों से मिलान करने के क्रम में किसी भी प्रकार की त्रुटि पाये जाने पर संबंधित आवेदक की अभ्यर्थिता रद्द कर दी जाएगी।

(iv) अभ्यर्थी, अपना, नाम, जन्म तिथि, कोटि, आवेदन शुल्क इत्यादि से संतुष्ट होने के उपरान्त ही ऑनलाईन आवेदन शुल्क जमा करेगे।

(v) ऑनलाईन आवेदन में अंकित E-mail Id, Mobile Number को सुरक्षित रखना आवेदक की जिम्मेवारी होगी। इसे वे चयन सूची के अंतिम प्रकाशन तक सुरक्षित रखेंगे।

(vi) मात्र रजिस्ट्रेशन करने एवं ऑनलाईन शुल्क जमा करने से यह नहीं माना जाएगा कि आवेदक द्वारा पूर्ण रूप से ऑनलाईन आवेदन भर लिया गया हैं।

(vii) इन्टरनेट या बैंकिग व्यवधान के लिए आयोग उत्तरदायी नहीं होगा। अतः अभ्यर्थी ऑनलाईन आवेदन भरने हेतु अंतिम तिथि का इंतजार नहीं करेंगे एवं उसके पूर्व ही सभी प्रक्रिया पूरी कर लेंगे।

(viii) **फोटोग्राफः–** (क) आवेदक/अभ्यर्थी का फोटो हाल का खींचा होना चाहिए।(तीन माह के अंदर का)

(ख) आवेदक/अभ्यर्थी का चेहरा एवं सिर ऊपर से नीचे तक दिखना चाहिए और फोटो में आँख खुला होना चाहिए।

(ग) बैकग्राउण्ड में सफेद पटल होना चाहिए। फोटो पर किसी प्रकार की छाया नहीं होना चाहिए। यदि आवेदक चश्मा लगाते हैं तो फोटो बिना चश्मा के खीचवाएगें।

(ix) अभ्यर्थियों को यह भी निर्देश दिया जाता है कि आवेदन करते समय जो फोटोग्राफ उनके द्वारा आवेदन पत्र पर अपलोड किया जा रहा है, उसकी कम से कम पाँच अतिरिक्त प्रतियाँ वे अपने पास सुरक्षित रखेंगे, ताकि आवश्यकता पड़ने पर या आयोग द्वारा मांगे जाने पर उसे उनके द्वारा जमा किया जा सके।

(x) ऑनलाईन भुगतान में किसी प्रकार का इन्टरनेट व्यवधान/गलत भुगतान/असफल भुगतान Unsuccessful Payment/Transaction Status Failure के लिए आयोग उत्तरदायी नहीं होगा तथा अभ्यर्थी को सुधार हेतु अतिरिक्त समय नहीं दिया जाएगा। ऐसी त्रुटियों की स्थिति में अभ्यर्थी तुरंत पूर्व में डाउनलोड किये गए चालान के माध्यम से भारतीय स्टेट बैंक के किसी भी शाखा में निर्धारित तिथि के अंदर नगद भुगतान कर आवेदन भरने की कार्रवाई करेंगे।

(xi) विज्ञप्ति प्रकाशन की तिथि एवं आवेदन समर्पित करने की अंतिम तिथि के बीच की अवधि में अधियाची विभाग के द्वारा/राज्य सरकार के द्वारा प्राप्त निदेशो के आलोक में विज्ञप्ति में आवश्यकतानुसार संशोधन किया जा सकता है।

नोटः–1. अभ्यर्थियों को निदेश दिया जाता है कि वे कोई भी फर्जी/जाली प्रमाण–पत्र के आधार पर उक्त आवेदन नहीं भरेगें अन्यथा किसी भी स्तर से प्रमाणपत्र फर्जी पाये जाने पर उनकी अभ्यर्थिता रदद् कर दी जायेगी एवं उनके विरूद्ध कानूनी कार्रवाई की जायेगी।

8/12/19

उप सचिव

बिहार तकनीकी सेवा आयोग, पटना।